# BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## लोकसभा (Lok sabha OR House of the People)

लोकसभा, भारतीय संसद का निम्न सदन व प्रथम सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है जिसके कारण इसका विघटन हो सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः कार्यपालिक(मन्त्रिपरिषद्) तभी तक बनी रहती है, जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552(530+20+2) हो सकती है लेकिन वर्त्तमान में सदस्यों की संख्या 545(530+13+2) है। जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य एंगलो इण्डियन समुदाय से होते हैं। इनमें 543 सीटों पर निर्वाचन होता है तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग(Delimitation Commission) की अनुशंसा पर निर्वाचन आयोग की देख–रेख तथा संसद की स्वीकृति के बाद किया जाता है। वर्त्तमान में 84वें संवैधानिक संशोधन 2002 (91वें संविधान संशोधन विधेयक) के आधार पर लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए सीट आरक्षित किये गये है। पुनसीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है।

## लोकसभा का निर्वाचन एवं कार्यकाल

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गये हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य 5 वर्षो के लिए चुने जाते हैं परन्तु लोकसभा विघटन की स्थिति में समय से पूर्व भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आपातकाल के समय उनका कार्यकाल एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए बढाया जा सकता है।

## लोकसभा सदस्य की योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो अर्थात् 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
3. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो।
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, पागल न हो।

इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत संसद ने 1951 में "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम"(People's Representation Act) पास कर संसद सदस्यों के लिए अन्य योग्यताएँ भी निश्चित की गई है।

**लोकसभा का कार्य एवं शक्तियॉ** – भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बना है। लोकसभा को अधिक शक्तियॉ प्रदान की गई है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वित्त संबंधी शक्ति लोकसभा के पास ही होती है। लोकसभा के प्रमुख कार्य और शक्तियॉ निम्न प्रकार है :–

1. **वैधानिक शक्तियॉ** – लोकसभा, संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहार में संसद की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा ही करती है। लोकसभा की इच्छा के विरूद्व

कोई भी कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। संविधान के अनुसार भारतीय संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करती है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है परन्तु सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा से पारित होने के बाद अन्तिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित नहीं किया जाता है अथवा 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दोगुने से भी अधिक होने के कारण अधिवेशन में विजय लोकसभा की होती है।

2. **वित्तीय शक्तियॉ** – भारतीय संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जायेंगे, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जायेगा। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पुनः लोकसभा को लौटाना है। राज्यसभा विधेयक के संशोधन के सबंध में अपना सुझाव दे सकती है परन्तु उनके सुझावों को मानना व न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि 14 दिनों में राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं करती है तो निश्चित तिथि के बाद दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है और स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। वार्षिक बजट और अनुदान मॉगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है। समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है तथा वित्तीय मामलों में मत देने का एक मात्र अधिकार लोकसभा को है।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति** – भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिमण्डल संसद(व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा विभिन्न प्रकार से बहस, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

(i) लोकसभा अधिवेशन के दिनों में संसद सदस्य नियमानुसार मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को इनके प्रश्नों का जबाब देना पड़ता है।

(ii) संसद सदस्य किसी भी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना अथवा अपना विरोध प्रकट कर सकती है तथा कार्यपालिका को प्रभावित कर सकती है।

(iii) कोई भी सदस्य सार्वजनिक मुद्दे पर/विषय पर बहस के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है।

(iv) यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता है, तो वह घ्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव प्रायः मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

(v) यदि लोकसभा समस्त मन्त्रिपरिषद् के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सभी मन्त्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना पड़ता है और यदि लोकसभा निन्दा प्रस्ताव पास कर दे तो मन्त्रिपरिषद् को त्याग–पत्र देना आवश्यक नहीं है।

4. **न्यायिक शक्तियॉ** – लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियॉ भी प्राप्त है। लोकसभा राष्ट्रपति के विरूद्व महाभियोग में भाग लेती है। संसद का दोनों सदन इसपर दो–तिहाई बहुमत से निर्णय लेता है। यदि संसद का दोनों सदन महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को त्याग–पत्र देना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के विरूद्व आरोप लगाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है लेकिन उसमें निर्णय देने का अधिकार लोकसभा को भी है। लोकसभा और राज्यसभा साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग द्वारा हटा सकती है। लोकसभा सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को दण्डित कर सकती है।

5. **संविधान संशोधन की शक्ति** – संविधान में संशोधन करने का अधिकार लोकसभा को भी प्राप्त है। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है क्योंकि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक सदन द्वारा भी प्रस्तावित किया जा सकता है लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के

अन्तर्गत "संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत स्वरूप को ही बदल दे या नष्ट कर दे।"

6. **चुनाव संबंधी कार्य** – लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।
7. **जनता के शिकायतों का निवारण** – लोकसभा के सदस्य सरकार की नीतियों के निर्माण एव कार्यो के सम्पादन में जनता के हितों का विशेष ख्याल रखती है। वह जनता के विचार, भावनाओं, मॉगों को सरकार तक पहुॅचाती है तथा जनता के शिकायतों का निवारण का भी कार्य करती है।
8. **विविध कार्य** – राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा के एक माह के भीतर ससंद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वक्षमा (Amnesty) देने के मामले में भी संसद से स्वीकृति आवश्यक है।